

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026 — पौष 22, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2026

अधिसूचना

F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :-

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“5	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष	—तदैव—”
----	---------------	--------------------	--------	---------

2. अनुसूची-चार के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :-

“टीप— ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो सहायक वर्ग-तीन के पद हेतु विहित अन्य शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हो, 25% पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2026

F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th January 2026

NOTIFICATION

F.No.RULE/247/2025-GAD-7.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services Recruitment Rules, 2014, namely:-

AMENDMENT

In schedule of the said rules,

01. For serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely-

"5	Class-IV	Assistant Grade-III	5 years	-do-
----	----------	---------------------	---------	------

02. After Schedule-IV, the following note shall be added, namely:-

"**Note-** Such Class-IV employees, who have other educational and technical qualifications prescribed for the post of Assistant Grade-III shall be eligible for promotion on 25% posts."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.